

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2003 / आश्विन 29, 1925 (शक)

संख्या: 275

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थानाध्यक्ष, रांसाद मार्ग, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको सरागमान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य चौ. प्रेम सिंह को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 19/10/2003 को अपराह्न 2.35 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नजर बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 19/10/2003 को अपराह्न 2.40 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 21st October, 2003/ Aashvina 29, 1925(Saka)

No.: 275

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from S.H.O., Parliament Street, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Ch. Prem Singh, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 2.35 P.M. on 19/10/2003.

He alongwith his supporters was released at 2.40 P.M. on the same day i.e. 19/10/2003."

SIDDHARTH RAO
SECRETARY